राजस्थान सरकार
वित्त (मार्गोपाय) विभाग

क्रमांकःप.16(1)वि.मा./2024 जयपुर, दिनांक 18 अगस्त, 2025

अधिसूचना

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के पत्रांक एफ 4(2)(1)नपा/रानिआ/2025/2584 दिनांक 01.08.2025 एवं पत्र क्रमांक प.7(2)(9)पंचा/रानिआ/2025/2541 दिनांक 31.07.2025 द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में रिक्त हुए पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों के पदों पर संलग्न सूची अनुसार उप–चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की गई है। नगरीय निकाय, जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के मतदान की तिथि 21.08.2025 (गुरूवार) को घोषित की गई है।

इस सन्दर्भ में भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 20/25/56 पब./1 दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पठित, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन राजस्थान के राज्यपाल एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि राजस्थान के उक्त नगर निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं में (संलग्न सूची अनुसार) मतदान की तिथि 21.08. 2025 (गुरुवार) को मतदान होने की स्थिति में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) 1881 के अन्तर्गत अवकाश रहेगा ताकि उन क्षेत्रों के मतदाता मतदान कर सकें।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हरीश लड्ढा)
संयुक्त शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः 7(2)(9)/पंचा/रानिआ/2025/ 2852 दिनांकः 18.08.2025

प्रतिलिपि संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचा.चुनाव) राजस्थान, को पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव माह अगस्त, 2025 – परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के अन्तर्गत अवकाश के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अम्बा लाल मीणा)
उप सचिव

राजस्थान सरकार
वित्त (मार्गोपाय) विभाग

क्रमांकःप.16(1)वि.मा./2024

जयपुर, दिनांक 18 अगस्त, 2025

अधिसूचना

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के पत्रांक एफ 4(2)(1)नपा/रानिआ/2025/2584 दिनांक 01.08.2025 एवं पत्र कमांक प.7(2)(9)पंचा/रानिआ/2025/2541 दिनांक 31.07.2025 द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में रिक्त हुए पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों के पदों पर संलग्न सूची अनुसार उप–चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की गई है। नगरीय निकाय, जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के मतदान की तिथि 21.08.2025 (गुरूवार) को घोषित की गई है।

इस सन्दर्भ में भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 20/25/56 पब./1 दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पठित, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन राजस्थान के राज्यपाल एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि राजस्थान के उक्त नगर निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं में (संलग्न सूची अनुसार) मतदान की तिथि 21.08.2025 (गुरूवार) को मतदान होने की स्थिति में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) 1881 के अन्तर्गत अवकाश रहेगा ताकि उन क्षेत्रों के मतदाता मतदान कर सकें।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हरीश लड्ढा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है:–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सचिव, भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय (आर्थिक मामलात विभाग) बैंक प्रभाग, नई दिल्ली।
3. सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राजस्थान।
5. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री अभाव अभियोग प्रकोष्ठ, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
7. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
9. सम्बन्धित संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
11. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
12. सम्बन्धित जिला कलक्टर, राजस्थान।
13. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक/मुम्बई/नागपुर/दिल्ली, जयपुर।
14. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर (पांच प्रतियों सहित)।

C:\2006\chauhan\elec.doc

राजस्थान सरकार
वित्त (मार्गोपाय) विभाग

15. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में अधिसूचना प्रकाशन हेतु।
16. सम्बन्धित कोषाधिकारी राजस्थान।
17. उप महाप्रबन्धक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, आनन्द भवन, जयपुर।
18. महाप्रबंधक एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान, चौथा तल, बड़ौदा भवन, प्लाट नंम्बर 13, एयरपोर्ट प्लाजा, टोंक रोड़, जयपुर, पिन–302018
19. वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय, जीवन प्रकाश, अजमेर।
20. वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मण्डल कार्यालय, नेहरू पैलेस, टोंक रोड़, जयपुर।
21. मण्डल प्रबन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय, भवानी सिंह मार्ग जीवन प्रकाश, जयपुर।
22. संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यरत समस्त बैंक।
23. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, 3 – नेहरू पैलेस, टोंक रोड़, जयपुर
24. राष्ट्रीय आवास बैंक, नेहरू पैलेस, जयपुर।
25. मुम्बई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, मुम्बई।
26. मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कं. लि. क्षेत्रीय कार्यालय तीसरी मंजिल, आनन्द भवन, संसार चन्द्र रोड़, जयपुर–302001
27. सचिव, बैंक मैनेजर्स एसोसियेशन द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, टोंक रोड़, जयपुर।
28. तकनीकी निदेशक, कम्प्यूटर सैल, वित्त विभाग, जयपुर।
29. अवैतनिक मन्त्री, जयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, कार्नर गोपालजी का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर।
30. अवैतनिक मन्त्री, इण्डिया वर्कर्स एसोसियेशन द्वारा ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, आनन्द भवन दूसरी मंजिल, संसार चन्द्र रोड़, जयपुर।
31. अवैतनिक मन्त्री राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, जयपुर।
32. मन्त्री, को–ऑपरेटिव बैंक कर्मचारी संगठन, कोटा।
33. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

C:\2008\chauhan\elec.doc